FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0036 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 10/11/2022 23:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/11/2022 **Time (समय):** 22:18 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Date and Time (दिनांक और समय):** 10/11/2022 22:18 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 50 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): गांव फास्टकूनगर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** अनिल कुमार ह0पु0से0अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1974 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**थाना राज्य चैकसी ब्यूरो फरी0, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**थाना राज्य चैकसी ब्यूरो फरी0, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	नरेश जोवल तत्कालीन नायब तहसीलदारसी0आर0 ओ0			1. होडल,PALWAL,HARYANA,INDIA
2	श्री ओमप्रकाश गोदारा तत्कालीन सी0आर0ओ0तहसीलद ार			1. होडल,PALWAL,HARYANA,INDIA
3	श्री मनबीर सिंह तत्कालीन तहसीलदार			1. होडल,PALWAL,HARYANA,INDIA
4	श्री भगवान सिंह रजिस्ट्री क्लर्क			1. होडल,PALWAL,HARYANA,INDIA
5	श्री भूपसिंह तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क			1. होडल,PALWAL,HARYANA,INDIA
6	श्री ताराचन्द हल्का पटवारी			1. होडल,PALWAL,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में

प्रबन्धक अफसर,

थाना राज्य चैकसी ब्यूरो,

फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक नं0 02 दिनांक 08.06.2012 पलवल मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 62/69/2010-4 चैकसी (II) दिनांक 31.05.2012 की अनुपालना मे महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला कार्यालय मे दर्ज रजिस्ट्रर होकर उनके कार्यालय के पृशठांकन 7074/1-2/SVB/(H) Date 08.06.2012 के अनुसार माननीय पंजाब एव हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ के CWP N0 10058/2010 और 8160/2011 के आधार पर दर्ज रजिस्ट्रर होकर पडताल हेतु इस मण्डल मे प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप था कि:-

सी.डब्लू.पी न0 10058 ऑफ 2010 में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंव हरियाणा चण्डीगढ के आदेशानुसार मैसर्ज क्रिस्टल बायोटेक कम्पनी द्वारा गांव अतवा जिला पलवल की शामलात देह खरीद करने बारे जांच अमल में लाई गई थी। जिसके आधार पर मुकदमा न0 13 दिनांक 14.5.2012 धारा 420,467,468,471,120 बी भा.द.स व 13 (1) डी पी.सी एक्ट थाना राज्य चैकसी ब्यूरो (ह) गुड़गांव में दर्ज रजिस्ट्रर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सी.डब्लू पी व सी.डब्लू.पी न0 8160 आफ 2011 में आदेश दिये कि मैसर्ज क्रिस्टल बायोटेक कम्पनी के अलावा किसी अन्य की जिला पलवल के गावोंकी शामलात भूमि के सम्बंध में वसिकाएं गलत पाई जावे तो उनकी भी जांच की जावे।

पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनो व प्रलेखो के अवलोकन से पाया गया कि जिला पलवल के ग्राम फास्टकूनगर तहसीलहोडल की शामलात देह की खरीद फरोख्त की गई हैं जिस सम्बन्ध में उपायुक्त पलवल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा चण्डीगढ में CWP N0 10058 आफ 2010 के सम्बन्ध में अनैक्सचर आर-1 प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार जिला पलवल में 5 गावों की शामलात देह में से कुल 208 वसिकाओं अनुसार खरीद फरोख्त करनी दर्षाई थी। जिस सम्बंध में अनैक्सचर आर-1 में दर्षाई गई ग्राम फास्टकूनगर की वसिकाओं के सम्बन्ध में जांच अमल में लाई गई।

ग्राम फास्टकूनगरहोडल जिला पलवल की षामलात देह की खरीद के सम्बन्ध में पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय चण्डीगढ में प्रस्तुत किये गये अनैक्सचर आर-1 के अनुसार कुल 11 वसिकाओं के अनुसारग्राम फास्टकूनगर की 1856.13 मरला षामलात देह की राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके अनुचित तरीके से बेची गई हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:-

क्र0स0

वसीका न0

दिनांक

रकबा/कनाल/मरला

विक्रेता का नाम

विक्रेता का नाम

ईन्तकाल न0

दिनांक

मन्जूर/खरिज की तिथि

1
2064
13-07-06
90-0

होती आदि

गुंजन आदि

731
16-12-06

मन्जूर

04-05-12

खारिज

2
2032
11-07-06
107-12

सतबीरआदि

गुंजन आदि

732
16-12-06

मन्जूर

04-05-12

खारिज

3
2655
24-08-06
168-3

रघुवीर आदि

प्रेमदत पुत्र सन्तराम

733
16-12-06

मन्जूर

04-05-12

खारिज

4
3214
29-09-06
225-16

चन्दन आदि

रामबीर पुत्र राधेलाल

734
16-12-06

मन्जूर

04-05-12

खारिज

5
2014
10-07-06
214-10

रघपात आदि

नीरज पुत्र एम0आर0 मुरारी

735

16-12-06
मन्जूर
04-05-12
खारिज
6
2656
24-08-06
226-9
फतेसिह आदि
पूनम पत्नी रवि
736
16-12-06
मन्जूर
04-05-12
खारिज
7
1127
13-06-07
108-8
बलदेव आदि
नीरज पुत्र एम0आर0 मुरारी
758
08-09-08
मन्जूर
04-05-12
खारिज
8
1405
27-06-07
63-14
चन्द्रपाल आदि
गुजंन खुराना
759
08-09-08
मन्जूर
04-05-12
खारिज
9
1758
27-07-07
160-4
ब्रजपाल आदि
नीरज कुमार
760
08-09-08
मन्जूर
04-05-12
खारिज
10
1069
11-06-07
172-0
रणजीत आदि
प्रेमदत
761
08-09-08

मन्जूर
04-05-12
खारिज
11
1040
08-06-07
319-7
श्रीपाल आदि
धर्मचन्द पुत्र जोरावर
762
08-09-08
मन्जूर
04-05-12
खारिज

ग्राम फास्टकूनगर तहसील होडल जिला पलवल का जमाबन्दी वर्ष 2000-2001 के अनुसार षामलात देह का कुल रकबा 3425.17 मरला था, इस रकबे में से उपरोक्त 11 वसिकाओं अनुसार 1856.13 मरला षामलात देह भूमी बेची जानी पाई गई हैं। पडताल के दौरान पाया गया था कि श्री मनजीत सिंह, एच0सी0एस0 तत्कालीन एस0डी0एम0 होडल को शामलात देह का गोस्वारा निकलवाने के लिये एक दरखास्त दी गई थी, जिस पर एस0डी0एम0 होडल द्वारा दरखास्त को हल्का पटवारी को मार्क करके गोस्वारा की नकल देने बारे आदेश दिये गये। जिस बारे पाया गया कि उपायुक्त पलवल पे अपने पत्र क्रमांक 1923/एस0के0, दिनांक 17.11.2012 में दर्षाया हैं कि लैण्ड रिकार्ड मैनुवल के पैरा नं0 3.48 की टिप्पणी नं0 4 के अनुसार प्रावधान हैं कि List of co-sharers shall not be prepared and supplied without the previonus sanction of the collectors unless required in connection with a revenue, civil or criminal cases ग्राम वासियों नं हल्का पटवारी से गोस्वारा प्राप्त करने के पष्चात उक्त रकबा 11 वसिकाओं के अनुसार बेच दिया।

तालिका में वर्णित क्रेतागण/विक्रतागण द्वारा वसीकाएं तहरीर कराने के पश्चात रजिस्ट्री पंजीकृत करवाने हेतु श्री भगवान सिंह व श्री भूपसिंह तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क होडल से सांठ गांठ करके उनकी रजिस्ट्रेशन फीस की रशीद काटकर वसीका पंजीकृत करने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पास भेज दिया जबकि यह रकबा षामलात देह का था और वसीकाओं के साथ संलग्न जमाबन्दी में उक्त जमीन की मालिक षामलात देह दर्षाई हुई हैं। जिसे उक्त रजिस्ट्रेशन क्लर्को द्वारा अनदेखा करके फीस काट दी।

उक्त वसिकाओं में वर्णित क्रेतागण/विक्रतागण को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त वसिकाएं पंजीकृत करने हेतु श्री नरेश जोवल, तत्कालीन नायब तहसीलदार होडल व श्री मनबीर सिंह तत्कालीन तहसीलदार होडल के सम्मुख पेश की गई जो उक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा क्रेतागण/ विक्रेतागण के साथ सांठ-गांठ करके अनुचित तरीके से अपने पद का दुरूप्योग करते हुये तथा वसीकाओं के साथ संलग्न जमाबन्दी की अनदेखी करते हुये अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिये उक्त वसीकाएं पंजीकृत कर दी गई।

उसके बाद क्रेतागण ने हल्का पटवारी ताराचन्द से इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु मिले तो ताराचन्द पटवारी ने इन्तकाल दर्ज करने से मना करते हुये कहा कि पहले हिस्सा कायमी का इन्तकाल दर्ज होना जरूरी हैं, जिस पर क्रेतागण ने श्री महाबीर प्रसाद तत्कालीन एस0डी0एम0 होडल के सम्मुख शामलात देह ग्राम वली मोहम्मदपुर के हिस्से कायमी का इन्तकाल दर्ज करने बारे दी जिस पर उक्त एस0डी0एम0 ने दरखास्त पर हल्का को मार्क करते हुये NA लिख दिया जो हल्का पटवारी ताराचन्द ने हिस्सा कायमी का इन्तकाल नं0 730 दर्ज कर दिया, इस सम्बन्ध में पडताल के दौरान उपायुक्त पलवल से प्राप्त रिपोर्ट नं0 1923/एस0के0, दिनांक 27.11.2012 के अनुसार पाया कि एस0डी0एम0 द्वारा दरखास्त पर NA लिखने से ही हल्का पटवारी षामलात देह के हिस्से कायम करके इन्तकाल दर्ज नही कर सकता, उसे इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व एस0डी0एम0 से विषेश आदेश प्राप्त करने चाहिये थे परन्तु पटवारी द्वारा ऐसा कोई आदेष एस0डी0एम0 से लिये बगैर ही षामलात देह के हिस्से कायम करके इन्तकाल दर्ज कर दिया, उसके पश्चात हल्का पटवारी ताराचन्द ने क्रेतागण से मिलीभगत करके गलत तरीके से उक्त वसिकाओं के सम्बन्ध में इन्तकाल अपने आप को व क्रेतागण को फायदा पहुंचाने की नियत से दर्ज कर दिये।

उसके पश्चात पटवारी द्वारा इन्तकाल दर्ज करने के पश्चात मुकाबला (सत्यापन)करने हेतु श्री विरेन्द्र सिंह व श्री तेजपाल तत्कालीन गिरदावर हल्का होडल द्वारा खरीदारों से मिलीभगत करके सावका (पुराना)रिकार्ड की अनदेखी

करकेक्रेतागण व अपने आप को फायदा पहुंचाने की नियत से इन्तकालों का मुकाबला (सत्यापन) कर दिया।

उसके पश्चात गिरदावर द्वारा इन्तकालों का मुकाबला (सत्यापन) करके मन्जूरी हेतु तत्कालीन सी0आर0ओ0 श्री नरेश जोवल नायब तहसीलदार होडलव श्री ओमप्रकाष गोदारा तत्कालीन सी0आर0ओ0/तहसीलदार होडल द्वारा भी खरीदारों से मिलीभगत करके रिकार्ड की अनदेखी अपने आप को फायदा पहुंचाने की नियत से इन्तकालों को मन्जूर कर दिया गया। उसके बाद उपरोक्त सभी इन्तकाल नजर साहनी होने उपरान्त तत्कालीन एस0डी0एम0 होडल द्वारा केस नं0 9/ए0सी0, क्स्ट ग्रेड द्वारा दिनांक 04.05.2012 द्वारा खारिज कर दिये गये हैं और इसके अतिरिक्त जबकि ग्राम फास्टकूनगर की षामलात देह की बेदखली के सम्बन्ध में धारा 7 ए0 VCLA के तहत 38 केस विचाराधीन थे।

अतः जांच की पडताल के बाद ग्राम फास्टकूनगर की शामलात देह का कुल रकबा 3425.17 मरला में से कुल 1856.13 मरला जमीन उक्त 11वसिकाओं द्वारा खरीद फरोख्त बारे श्री नरेश जोवल, तत्कालीन नायब तहसीलदार/सी0आर0ओ0 होडल, श्री ओमप्रकाष गोदारा तत्कालीन सी0आर0ओ0/तहसीलदार होडल, श्री मनबीर सिंह तत्कालीन तहसीलदार होडल श्री भगवान सिंहरजिस्ट्री क्लर्क होडल, श्री भूपसिंह तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क होडल तथाश्री ताराचन्द हल्का पटवारी ग्राम फास्टकूनगरतथा उपरोक्त तालिका में वर्णित क्रेतागण/ विक्रेतागण ग्राम फास्टकूनगर के खिलाफ साथ सांठ-गांठ करके अनुचित तरीके से अपने पद का दुरूप्योग करते हुये तथा वसीकाओं के साथ संलग्न जमाबन्दी की अनदेखी के सम्बन्ध में धारा 420, 120 बी0 भा0दं0सं0 तथा 13 (1) डी0 भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने की सिफारिष की गई थी और इसके अलावा किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारियों व किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्पता पाई जाती है तो उसे अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था।

जिस पर अब मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक यादि क्रमांक 62/69/2010-4 चैकसी(II) दिनांक 12.09.2022 की अनुपालना मे महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला कार्यालय के पृष्ठाकन 16100/1-2/SVB(H) Dated 10.10.2022 के अनुसार उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध धारा 420, 120 बी0 भा0दं0सं0 तथा 13 (1) डी0 भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने हेतु आदेश प्राप्त हुये हैं।

अतः श्री नरेश जोवल, तत्कालीन नायब तहसीलदार/सी0आर0ओ0 होडल, श्री ओमप्रकाश गोदारा तत्कालीन सी0आर0ओ0/तहसीलदार होडल, श्री मनबीर सिंह तत्कालीन तहसीलदार होडल श्री भगवान सिंह रजिस्ट्री क्लर्क होडल, श्री भूपसिंह तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क होडल तथा श्री ताराचन्द हल्का पटवारी ग्राम फास्टकूनगर तथा उपरोक्त तालिका में वर्णितक्रेतागण/ विक्रेतागण ग्राम फास्टकूनगरके खिलाफ धारा 420, 120 बी0 भा0दं0सं0 तथा 13 (1) (डी0), 13 (2) अपराध के समय प्रचलित कानून, भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया जावे।इसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी तफतीष के दौरान देख लिया जावे।अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर को ई0एच0सी0 उधम सिंह नं0 698/पलवल के माध्यम से थाना भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके नम्बर से सूचित किया जाये तथा स्पेषल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों के पास नियमानुसार भिजवाई जाये। अभियोग के अनुसन्धान के लिये अन्य अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त किया जाये। जांच के दौरान प्राप्त किया गया सम्बन्धित रिकार्ड सलंग्न है अज- कार्यालय, राज्य चौकसी ब्यूरो, गांव मिर्जापुर सै0 74 समुदायिक भवन फरीदाबाद SD. (अनिल कुमार) ह0पु0से0,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चैकसी ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद Dt. 10.11.2022 अज थाना :- हस्ब आमद तहरीर कायमी मुकदमा न0 36 दिनांक 10.11.2022 धारा 420,120बी0 भा0द0स0 व 13(1)(डी0),13(2) भ्रटाचार अधिनियम PS SVB FBD मे दर्ज रजि0 किया जाकर FIR कि प्रतिया CCTNS कम्पयूटर द्वारा तैयार कि जाकर मुकदमा हजा की स्पेसल रिपोर्ट EHC उधम सिह न0 698/पलवल के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब वा अफसरान बालान को भिजवाई जाये नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले I/O नि0 सन्तराम के की जायेगी नोटः- यह मुकदमा निरीक्षक राजकुमार की हाजरी में दर्ज रजि0 किया गया है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Sant Ram **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1030FBD **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Abhishek Jorwal

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.